

राजेश कुमार vs मांवी लाल

तारीख
हुक्म

47/2022
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

Case No - 2022/108

नंबर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

23/10/24

पत्रावली पत्रा हुर्दी वकील प्रार्थी अनु-।
वकील प्रार्थी को प्रार्थी के विधिके कारिसानों
की रेकॉर्ड पर लेने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाये
के उपरान्त श्री आदीनांक तक प्रार्थी पत्र अन्तर्गत
आदेश 22 नियम 3 पर 14 नोटिस पत्रा
नहीं रखे हैं। वकील प्रार्थी को न्यायालय में
उपस्थित होने हेतु बार-बार आवाजे लगावाये
जाये के उपरान्त श्री न्यायालय में अनुपस्थित
रहने की वजह से जैर निगरानी वकील प्रार्थी की
जैर धजरी में अदम पेशी- अदम धजरी में
खारिज की जाती हैं। निर्णय की सत्यप्रति के साथ
अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।
पत्रावली फौकल मुताद देखर नम्बर से कम हैं।